चिलकामर्थी वेंकटेश्वरलू और ए. एन. आर. बनाम.

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2019 की आपराधिक अपील संख्या 1082) 31 जुलाई, 2019

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार-अपीलार्थीगण का दायरा और प्रत्यर्थी संख्या 2-वास्तविक वादी स्पष्ट रूप से करीबी रिश्तेदार हैं और अपीलकर्ता संख्या 2-अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा दायर विभाजन मुकदमे में उलझे हुए हैं-अपीलकर्ता संख्या 2 ने भी वास्तविक वादी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की-आपराधिक कार्यवाही 2018 की पी. आर. सी. संख्या 2 है जो अपीलार्थीगण के यू/एस. एस. के खिलाफ दायर की गई है।307, 323, 427, 447 और 506 (2) आर/डब्ल्यू एस।34, भारतीय दण्ड संहिता सी.-अपीलार्थीगण के अनुसार, प्रत्यर्थी नं.2 अपीलार्थी सं. 2-याचिका यू/एस द्वारा दायर आपराधिक शिकायत के जवाबी विस्फोट के रूप में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया।482 2018 की पी. आर. सी. संख्या 2 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपीलार्थीगण द्वारा दायर-खारिज-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायालय यू/एस की पूर्ण अंतर्निहित अधिकारिता।482 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग संहिता के तहत किसी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है; न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; और अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए-हालाँकि, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय अपील या संशोधन के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।482 वैध अभियोजन को दबाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए-साथ ही, यदि कथित अपराध के मूल तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, तो आपराधिक कार्यवाही को यू/एस द्वारा रद्द किया जा सकता है।482 – कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं होती है, भले ही शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया सच माना जाए-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने सही पाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयानों के साथ शिकायत में लगाए गए आरोपों में अपराधों के लिए आवश्यक तत्व थे।307, 323, 427, 447 और 506 (2) आर/डब्ल्यू एस।34, आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह यू/एस की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। 482 केवल दुर्लभ मामलों में-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं-दंड संहिता,

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

801 ए.

802 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 10 एस. सी. आर.

1860 – एसएस।307, 323, 427, 447, 506(2) आर/डब्ल्यू एस।34 और एसएस। 120 बी, 420,463,464,466,467,468,469,470 और 471।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

पकड़ना:**1.1** उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला और ठीक ही कहा कि अपीलार्थीगण के लिए यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने का अधिकार है कि अपीलार्थी और/या उनमें से कोई एक कथित अपराध के समय उपस्थित नहीं था।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत न्यायालय की पूर्ण अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है**;** न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए**;** और अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।**[**पारस **11,12] [806-**डी**-**ई**]**

बी.

सी.

1.2 अंतर्निहित अधिकारिता**,** हालांकि व्यापक और व्यापक है**,** का प्रयोग संयम से**,** सावधानी से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है**,** यानी संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए**,** किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आदेश देना जो आवश्यक हो।धारा **482** के तहत हस्तक्षेप के लिए**,** तीन शर्तों को पूरा किया जाना है।जो अन्याय सामने आता है वह गंभीर होना चाहिए**,** न कि तुच्छ चरित्र का**;** यह स्पष्ट और स्पष्ट होना चाहिए और संदिग्ध नहीं होना चाहिए और कानून का कोई अन्य प्रावधान मौजूद नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा पीड़ित पक्ष राहत मांग सकता था।धारा **482** के

तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय को इस तरह से कार्य करने की अनुमति नहीं है जैसे कि वह एक विचारण न्यायालय हो।न्यायालय को केवल अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना है।उस सीमित उद्देश्य के लिए, न्यायालय अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य की सराहना नहीं कर सकता है कि प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है या नहीं।उच्च न्यायालय को, धारा **482** के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि क्या साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, या क्या साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आरोप टिकाऊ नहीं हैं, क्योंकि यह विचारण न्यायाधीश का कार्य है।**[**पारस **13-16] [806-E-H; 807-A-B]**

डी.

ई.

एफ.

जी.

1.3 उच्च न्यायालय का उन मामलों में संहिता की धारा **482** के तहत हस्तक्षेप करने का दायित्व हो सकता है जहां मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि की गई है।

एच.

803

चिलकामर्थी वेंकटेश्वरलू और ए. एन. आर. बनामआंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

तथ्य यह है कि कथित कार्य अपराध नहीं थे।हालाँकि, इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय अपील या संशोधन न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।साथ ही, यदि कथित अपराध के मूल तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां शिकायत या आरोप पत्र में लगाए गए आरोप कोई अपराध नहीं हैं, वहां संहिता की धारा **482** के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए खुला है।धारा **482** के तहत अंतर्निहित शक्ति का उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है।इस तरह की शक्ति का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संहिता के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है।**[**पारस **17-19] [807-C-G]**

बी.

सी.

1.4 इस मामले में**,** उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया**,** यह देखते हुए कि वह केवल दुर्लभ मामलों में ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं होती है**,** भले ही शिकायत में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य के रूप में स्वीकार किए गए हों।उच्च न्यायालय ने वास्तव में पाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयानों के साथ शिकायत में लगाए गए आरोपों में भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **34** के साथ धारा **307,323,427,447** और **506 (2)** के तहत अपराधों के आवश्यक तत्व थे। यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।**[**पारस **23,24] [810-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

एफ.

एस. डब्ल्यू. पलानीटकर और ओ. आर. एस. बनामबिहार राज्य और एक अन्य

(2002) 1 एससीसी 241:[2001] 4 पूरक।एससीआर 397; एस. डब्ल्यू.

पलानीटकर और ओ. आर. एस. वी.एम. ए. ए. अन्नामाली बनाम राज्य

कर्नाटक और दूसरा (2010) 8 एस. सी. सी. 524:[2010]

9 एस**.** सी**.** आर**. 1124;** शारदा प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य

AIR 1977 SC 1754:[1977] 2 एस. सी. आर. 357; श्रीमती एन. एगाववा

जी.

v. वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी और अन्य। आकाशवाणी **1976**

एससी 1947:[1976] पूरक।एससीआर 123; धर्मपाल

और ओआरएस**.** वी**.**श्रीमती**.** रामश्री और ओआरएस। ए**.** आई**.** आर**. 1993** एससी

1361 :[1993] 1 एस**.** सी**.** आर**. 1-**संदर्भित।

एच.

ए.

ज़ांडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और ओआरएस बनाममोहम्मद.शरफुल हक और एक अन्य **(2005) 1** एस. सी. सी. **122:[2004] 5** पूरक।एस. सी. आर. **790;** हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल **(1992)**

सपं. **(1)** एस. सी. सी. **335:[1990] 3** पूरक।एससीआर **259;**

धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्ना कुमार और अन्य **(1990)**

मान लीजिए एस. सी. सी. 686:[1989] पूरक।एससीआर 165; राज्य

बी.

कर्नाटक बनाम एल. मुनिस्वामी और अन्य **(1977) 2** एससीसी

699 :[1977] 3 एस. सी. आर. **113-**पर निर्भर।मामला कानून संदर्भ

[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. **790** पर निर्भर

पैरा **16 [2001] 4** पूरक।एस. सी. आर. **397** पैरा **17 [2010] 9** एस. सी. आर. **1124** पैरा **19 [1977] 2** एस. सी. आर. **357** पैरा **19 [1976]** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर. **123** पैरा **19 [1993] 1** एस. सी. आर. **1** को संदर्भित करता है।

सी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **19**

डी.

[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. **259** पर निर्भर

पैरा **20**

[1989] पूरक।एस. सी. आर. **165** पर निर्भर

पैरा **21**

[1977] 3 एससीआर **113**

उस पर भरोसा करें

पैरा **22**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2019 की आपराधिक अपील संख्या 1082।

ई.

तेलंगाना राज्य के लिए और 2018 के सी. आर. एल. पी. संख्या 9225 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

के. एल. शास्त्री, के. श्रीवर्षिनी, आई. वी. कश्यप, डॉ. ए. एम. कृष्णा और सुश्री अश्वथी एम. के., अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

एफ.

गुंटूर प्रभाकर, आर. चंद्रचूड़, अल्लांकी रमेश, सुश्री अरुणा गुप्ता, सैयद अहमद नकवी, महफूज ए. नाजकी, पोलांकी गौतम, जैन मकबूल और अविनाश त्रिपाठी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

1. यह अपील तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक ए को खारिज करते हुए 30 अगस्त, 2018 को पारित एक फैसले और आदेश के खिलाफ है।

एच.

805

चिलकामर्थी वेंकटेश्वरलू और ए. एन. आर. बनाम.आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

अपीलार्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 34 के साथ पठित धारा 307,323,427,447 और 506 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अतिरिक्त न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी जिले के न्यायालय में अपीलार्थीगण के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 482 के तहत 2018 की याचिका दायर की गई।

बी.

2. अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थी संख्या 2, वास्तविक वादी होने के नाते, स्पष्ट रूप से करीबी रिश्तेदार हैं और आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपीलार्थीगण संख्या 2 द्वारा दायर 2012 के ओएस No.92 विभाजन मुकदमे में उलझे हुए हैं।

सी.

3. अपीलकर्ता संख्या 2 ने भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 120 बी, 420,463,464,466,467,468,469,470 और 471 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, नरसापुर, पश्चिम गोदावरी जिले की अदालत में वास्तविक वादी और अन्य लोगों के खिलाफ 2012 की आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

डी.

4. यह अपीलार्थीगण का मामला है कि वास्तविक वादी ने अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा दायर 2012 की आपराधिक शिकायत संख्या 518 के प्रति-विस्फोट के रूप में अपीलार्थीगण को गलत तरीके से फंसाया है।

5. अपीलार्थीगण ने इस आरोप पर कि अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण के बीच दीवानी विवाद लंबित थे, 2018 की पी. आर. सी. संख्या 2 में कार्यवाही को रद्द करने के लिए Cr.PC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में 2018 की आपराधिक याचिका संख्या 9225 दायर की।

ई.

6. अपीलार्थी ने यह भी तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक पूर्व आवेदन, जो अपीलार्थीगण द्वारा दायर 2012 की आपराधिक याचिका No.13272 थी, को उच्च न्यायालय द्वारा 23 जुलाई, 2018 के एक आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। 7.तत्काल मामले में दायर शिकायत में, यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थीगण ने वास्तविक वादी के शरीर पर चोटें पहुंचाईं और वास्तविक वादी के सिर पर मारने और उसे लोहे की छड़ से मारने का प्रयास किया।यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थीगण ने खुले तौर पर वास्तविक वादी को मारने की धमकी दी थी।

एफ.

जी.

8. यह वास्तविक वादी का मामला है कि सिर पर चोट पहुँचाने के प्रयास, जो कि एक महत्वपूर्ण अंग है, के परिणामस्वरूप वास्तविक शिकायत की मृत्यु हो सकती थी।उच्च न्यायालय ने प्रभावी पाया

एच.

कि शिकायत में आरोप अपराधों को आकर्षित करते हैं, जो शिकायत में उल्लिखित धाराओं के तहत दंडनीय हैं।

9. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण के इस तर्क को खारिज कर दिया कि शिकायत एक जवाबी विस्फोट के रूप में दर्ज की गई थी, यह देखते हुए कि दूसरे अपीलार्थी की शिकायत 28 सितंबर, 2012 को दायर की गई थी, जबकि तत्काल शिकायत 21 जुलाई, 2015 को दायर की गई थी, जो लगभग तीन साल बाद है।

बी.

10. यह अपीलार्थीगण का मामला है कि अपीलार्थी संख्या 1, जो हैदराबाद में व्याख्याता के रूप में काम कर रहे हैं, को गलत तरीके से फंसाया गया है।क्या कथित घटना के समय अपीलार्थी संख्या 1 हैदराबाद में था, या क्या अपीलार्थीगण को गलत तरीके से फंसाया गया है, ये तथ्य के प्रश्न हैं जिनका निर्णय साक्ष्य प्रस्तुत करके मुकदमे में किया जाना है।

सी.

11. उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला और ठीक ही कहा कि अपीलार्थीगण के लिए यह दिखाने के लिए सबूत पेश करने का अधिकार है कि अपीलार्थी और/या उनमें से कोई एक कथित अपराध के समय उपस्थित नहीं था।

डी.

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की पूर्ण अंतर्निहित अधिकारिता का उपयोग संहिता के तहत एक आदेश को प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है; न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; और अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।

ई.

13. अंतर्निहित अधिकारिता, हालांकि व्यापक और व्यापक है, का प्रयोग संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब इस तरह का प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाता है, यानी संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आदेश देना जो आवश्यक हो।

एफ.

14. धारा 482 के तहत हस्तक्षेप के लिए, तीन शर्तों को पूरा किया जाना है।जो अन्याय सामने आता है वह गंभीर होना चाहिए, न कि तुच्छ चरित्र का; यह स्पष्ट और स्पष्ट होना

चाहिए और संदिग्ध नहीं होना चाहिए और कानून का कोई अन्य प्रावधान मौजूद नहीं होना चाहिए जिसके द्वारा पीड़ित पक्ष राहत मांग सकता था।

जी.

15. धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए न्यायालय को इस तरह से कार्य करने की अनुमति नहीं है जैसे कि वह एक विचारण न्यायालय हो।न्यायालय को केवल अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना है।उस सीमित उद्देश्य के लिए, न्यायालय अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन कर सकता है, लेकिन वह साक्ष्य ए की सराहना नहीं कर सकता है।

एच.

807

चिलकामर्थी वेंकटेश्वरलू और ए. एन. आर. बनाम.आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

यह निष्कर्ष निकालना कि प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है या नहीं।

16. उच्च न्यायालय को, धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, इस बात की जांच शुरू नहीं करनी चाहिए कि क्या साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं, या क्या साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आरोप टिकाऊ नहीं हैं, क्योंकि यह विचारण न्यायाधीश का कार्य है।इस प्रस्ताव को ज़ांडू में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है।

बी.

फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड और ओआरएस बनाममोहम्मद**.**शरफुल हक और एक अन्य **1.**

17. उच्च न्यायालय को उन मामलों में संहिता की धारा 482 के तहत हस्तक्षेप करने का दायित्व हो सकता है जहां मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने की प्रक्रिया में स्पष्ट त्रुटि की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि कथित कार्य अपराध नहीं थे।संदर्भ दिया जा सकता है

सी.

एस**.** डब्ल्यू**.** पलानीटकर और ओ**.** आर**.** एस**.** बनामबिहार राज्य और अन्य **2.**हालांकि**,**

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है।18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं

किया जाना चाहिए।साथ ही, यदि कथित अपराध के मूल तत्व पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

डी.

19. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जहां शिकायत या आरोप पत्र में लगाए गए आरोप कोई अपराध नहीं हैं, वहां संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए खुला है।एम. ए. ए. अन्नामाली बनाम राज्य को संदर्भित किया जा सकता है।

ई.

कर्नाटक और अन्य **3,** शारदा प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य **4** और श्रीमती**.** एन**.** अगावा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी और अन्य। **5.**

एफ.

धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति का उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है।इस तरह की शक्ति का उपयोग कुछ ऐसा करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संहिता के तहत स्पष्ट रूप से वर्जित है।धर्मपाल और ओआरएस का संदर्भ दिया जा सकता है।

श्रीमती**.** रामश्री और अन्य **6.**

जी.

1 (2005) 1 एस. सी. सी. 122 2 (2002) 1 एस. सी. सी. 241 3 2010 (8) एस. सी. सी. 524 4 ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1754 5 ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1947 6 ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1361

एच.

20. आवेदन को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा किया कि

हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल **7** में इस न्यायालय का निर्णय जहां

इस न्यायालय ने धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए:-

“(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

बी.

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसंधान को उचित ठहराते हैं।

सी.

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

डी.

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी अनुसंधान की अनुमति नहीं दी जाती है।(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

ई.

एफ.

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत एक आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है।

जी.

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।”

7 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335 ए

एच.

809

चिलकामर्थी वेंकटेश्वरलू और ए. एन. आर. बनाम.आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.
[इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

21. धनलक्ष्मी बनाम आर**.** प्रसन्ना कुमार और अन्य **8** में उद्धृत

उच्च न्यायालय द्वारा, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः-

“दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 उच्च न्यायालय को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देती है।शिकायत पर शुरू की गई कार्यवाही में कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल उन मामलों में किया जाता है जहां शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है या तुच्छ, परेशान करने वाली या दमनकारी है।यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है, तो उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि मुकदमे से पहले मामले का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामला दोषसिद्धि में समाप्त होगा या नहीं।शिकायत को पूरी तरह से पढ़ना होगा।यदि यह आरोपों पर विचार करने पर, वादी की शपथ पर दिए गए बयान के आलोक में प्रतीत होता है कि अपराध/अपराध के तत्वों का खुलासा किया गया है, और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है, तो उस स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं होगा।”

बी.

सी.

डी.

22. उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम एल.

ई.

मुनिस्वामी और अन्य **9, (1977) 2** एस**.** सी**.** सी**. 699,** जहाँ यह न्यायालय

धारा 482 Cr.PC के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता के दायरे पर विचार किया और अभिनिर्धारित कियाः-

“इस पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय किसी कार्यवाही को रद्द करने का हकदार है यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए।दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाना एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है जो यह है कि अदालत की कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।एक आपराधिक मामले में, एक लंगड़ा अभियोजन के पीछे प्रच्छन्न वस्तु, उस सामग्री की प्रकृति जिस पर इसकी संरचना

एफ.

जी.

8 1990 एस. सी. सी. 686 9 (1977) 2 एस. सी. सी. 699

एच.

अभियोजन पक्ष टिकी रहती है और इस तरह के मामले न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द करने में उच्च न्यायालय को उचित ठहराएंगे।न्याय के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक हैं, हालांकि न्याय को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार प्रशासित किया जाना है।इन टिप्पणियों को करने के लिए बाध्यकारी आवश्यकता यह है कि राज्य और उसके विषयों के बीच न्याय करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने का प्रयास करने वाले प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य की उचित प्राप्ति के बिना, उस मुख्य अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई और रूपरेखा की सराहना करना असंभव होगा।”

बी.

23. इस मामले में, उच्च न्यायालय ने आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि वह केवल दुर्लभ मामलों में ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सामग्री नहीं होती है, भले ही शिकायत में आरोप प्रथम दृष्टया सत्य के रूप में स्वीकार किए गए हों।उच्च न्यायालय ने प्रभावी रूप से पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए बयानों में भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 307,323,427,447 और 506 (2) के तहत अपराधों के आवश्यक तत्व थे।

सी.

डी.

24. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि ऊपर चर्चा किए गए कारणों से आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है।25. तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

ई.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

एफ.

जी.

एच.